एफ.संख्या 01 /एफएसएसएआई/टेंडर-डब्ल्यू.आर./2019-20

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

यूनिट संख्या 902, 9वां तल, हालमार्क बिजनेस प्लाजा,

गुरुनानक अस्पताल के सामने, बांद्रा (ई), मुम्बई-400051

दिनांक 3 दिसम्बर, 2019

निविदा सूचना

पश्चिम क्षेत्र, मुम्बई स्थित एफ.एस.एस.ए.आई. के लिए वाहनों को किराए पर लेने के लिए निविदा

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की ओर से पश्चिम क्षेत्र, मुम्बई स्थित एफ.एस.एस.ए.आई. में वाहनों को किराए पर लेने के लिए निर्धारित प्रपत्र में विख्यात और अनुभवी फर्मों से दोहरी बोली प्रणाली (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) में मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

निविदा दस्तावेज (अहस्तांतरणीय), जिसमें विस्तृत विशिष्टियां, नियम एवं शर्तें दी गई हैं, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनिट संख्या 902, 9वां तल, हालमार्क बिजनेस प्लाजा, गुरुनानक अस्पताल के सामने, बांद्रा (ई), मुम्बई-400051 से "अभिनामित अधिकारी, एफ.एस.एस.ए. आफ इंडिया" के पक्ष में "मुम्बई में देय" 500/-रुपए (गैर-वापसी योग्य) मूल्य के डिमांड ड्राफ्ट/भुगतान आदेश द्वारा भुगतान किए जाने पर प्राप्त किया जा सकता है। उक्त दस्तावेज एफ.एस.एस.ए.आई. की वैबसाइट: www.fssai.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। विधिवत हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज 500/-रुपए के डिमांड ड्राफ्ट के साथ निम्नलिखित दर्शाए अनुसार प्रस्तुत किए जाएं।

बोली निदेशक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय), यूनिट संख्या 902, 9वां तल, हालमार्क बिजनेस प्लाजा, गुरुनानक अस्पताल के सामने, बांद्रा (ई), मुम्बई-400051 को इस प्रकार संबोधित करें / प्रस्तुत करें कि ये **2 जनवरी, 2020 को 13.00 बजे तक अथवा उससे पहले** प्राप्त हो जाएं।

एफ.एस.एस.ए.आई. को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी अथवा सभी प्रस्ताव को कार्रवाई के किसी भी चरण पर बिना कोई कारण बताएं स्वीकार अथवा अस्वीकार कर दे और इस संबंध में किसी दावे/विवाद पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

निदेशक
पश्चिमी क्षेत्र
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण,
मुम्बई-400051